

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक 448/दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 22/07/2025

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो-1-1/2000 दिनांक 30.04.2024 को निरस्त करते हुए मैं राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला रीवा में स्थापित व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञेय दीवानी मामलों के कार्य विभाजन एवं सत्र खण्ड रीवा के अंतर्गत आपराधिक मामलों के कार्य विभाजन के संबंध में निम्न लिखित आदेश प्रसारित करता हूँ, जो दिनांक 25.1.2024 से प्रभावशील होगा :-

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)	रीवा सिविल जिला रीवा	1-म.प्र. एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट, 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी रीवा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें । 2- केन्द्रीय अधिनियमों और म.प्र. राज्य के अधिनियमों (मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपीलें, पुनरीक्षण और संदर्भ जो जिले की मूल अधिकारिता वाले प्रमुख न्यायालय में या जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य हों एवं जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो। 3-धारा-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 4- ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय, डिक्री व आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित व विविध अपीलें। 5-लोक परिसर (अधिकृत आधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें" (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 6- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण । 7-प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 8. सिविल जिला रीवा के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। (तहसील त्योंथर, मउगंज, सिरमौर एवं हनुमना के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय को छोड़कर) 9-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलें। 10- सिविल जिला रीवा की स्थानीय सीमाएं के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा उससे उत्पन्न दावे एवं आवेदन पत्र। 11- जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		सत्र खण्ड रीवा	1-समस्त सत्र प्रकरण (विशेष न्यायालय की अधिकारिता वाले प्रकरण को छोड़कर) 2-दाण्डिक अपील । 3-दाण्डिक पुनरीक्षण । 4-आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व अपीलें। 5-विविध दाण्डिक प्रकरण ।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
			6-धारा 448 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन पत्र। 7-धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 8-मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9-ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रकरण। 10-विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 1916 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किये जायेंगे। 11- सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12- अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुख्यालय रीवा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण।
2	श्री सुरेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा	सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन पेश होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित समस्त विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।
3	डॉ० श्रीमती अंजली पारे, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्याया० (पी०सी०एक्ट) रीवा (म०प्र०)	सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा इन्हीं प्रकरणों से संबंधित समस्त जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवेदन पत्र।
4	श्री आशीर्वाद भिलाला, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. थाना गुढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 3-मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
5	श्री वरीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/ विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा (म०प्र०)	सिविल जिला रीवा	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2- रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें।
		सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-सिविल जिला रीवा क्षेत्र के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
6	सुश्री पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा	सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले (सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/त्योथर/सिरमौर को छोड़कर) के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। 3- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण जिला रीवा के क्षेत्राधिकार के समस्त थाना के अभियोग/परिवाद पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र व अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अपराध भी शामिल हों।
7	श्री संदीप श्रीवास्तव, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अति. विशेष न्यायाधीश(एन.डी. पी.एस.एक्ट) रीवा	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. तहसील मऊगंज के पुलिस थाना मऊगंज, गढ़, नईगढी, लौर एवं तहसील सिरमौर के पुलिस थाना सिरमौर, गढ़, बैकुण्ठपुर, सेमरिया एवं तहसील त्योथर के पुलिस थाना सोहागी, चाकघाट, जनेह, अतरैला, डभौरा, जवा, गढ़, पनवार एवं तहसील हनुमना के पुलिस थाना हनुमना, शाहपुर के थाना अंतर्गत साइकोट्रोपिक्स सबस्टेन्सेस (एन.डी.पी.एस.) एक्ट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। 3. धारा 22 (1) एन.आई.ए. एक्ट रीवा जिले से संबंधित समस्त प्रकरण
8	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)		
9	श्री शरद कुमार गुप्ता (जू०), सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. राजस्व जिला रीवा एवं उसके अंतर्गत आने वाले राजस्व जिले (सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, डिंडोरी, पन्ना) के वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामले जो जिला न्यायाधीश स्तर के हों। 3. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. थाना सगरा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
10	श्री अनुज त्यागी, अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. थाना चोरहटा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
11	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी. पी.एस. एक्ट) रीवा	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।
		सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 3- जिला रीवा के पुलिस थाना सिविल लाईन, सिटी कोतवाली, चोरहटा, अमहिया, यातायात, समान, गोविन्दगढ़, मनगंवा, बिछिया, गुढ़, महिला थाना, रायपुर कर्चुलियान, सगरा, विश्वविद्यालय, जी0आर0पी0 थाना के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक्स सबस्टेन्सेस (एन.डी. पी.एस.) एक्ट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।
12	श्री शशांक खरे, 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2. थाना समान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. जिला रीवा के डभौरा, पनवार, अतरैला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा सेमरिया थाना क्षेत्र से उद्भूत मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।
13	श्री मोहित कुमार, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।
		सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. सिविल जिला रीवा क्षेत्र के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
14	12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	(रिक्त न्यायालय)	
15	श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2. थाना विश्वविद्यालय एवं सिविल लाइन की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
16	श्री संतोष कुमार तिवारी, 14 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- थाना रायपुर कर्चुलियान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
17	श्री सुधीर सिंह राठौड़ 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- थाना बिछिया एवं मनगंवा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 3- प्रथम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के दिनांक 06.08.2014 के पूर्व के निष्पादन व समस्त विविध कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
18	श्री यशपाल सिंह, 16 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- थाना गोविन्दगढ़ एवं अमहिया की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 3. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 4. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 5. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम तथा पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 6. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। (क. 04 से 06 में कुटुम्ब न्यायालय रीवा, मउंगज सिरमौर एवं त्योथर न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
		सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
19	श्रीमती अनु सिंह, 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. जिला मुख्यालय रीवा के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)
20	श्री अशरफ अली, 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- थाना सिटी कोतवाली की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन-पत्र।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
मऊगंज			
21	श्री जय सिंह सरोते प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी का क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 3- रुपये 5 सौ से अधिक और रुपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 4- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें । 5-थाना मऊगंज की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र । 6- हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 7- पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-थाना मऊगंज अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं । 3- थाना मऊगंज/नईगढ़ी क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन । 4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील मुख्यालय मऊगंज एवं हनुमना के आदेश के विरुद्ध बी0एन0एस0एस0 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण । 5- मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण ।
22	श्री मनोज तिवारी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी का क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ एवं वरिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें । 3-थाना हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र 4. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट, 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें । 5-प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 6- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण ।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-थाना हनुमना अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 4- थाना हनुमना क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 5- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मऊगंज क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। 6- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।
23	श्री हीरालाल अलावा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/नईगढ़ी का क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें। 3. थाना शाहपुर, लौर एवं नईगढ़ी की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 4. माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। 6. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-थाना लौर/नईगढ़ी/शाहपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- थाना लौर/शाहपुर क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4- मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 5-सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
त्योथर			
24	श्री दयाराम कुमरे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योथर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2-रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड एवं वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड त्योथर के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। 4-थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योथर, पनवार, डभौरा, सोहागी एवं चाकघाट थाना की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 5-प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6-रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/-से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। 7-पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 8- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 9-माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 10. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 11-हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम एवं एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 12-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण।
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2-तहसील त्योथर के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपार्पित किये जाते हैं। 3- तहसील त्योथर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4-तहसील त्योथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 5- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। 6- सिविल जिला रीवा के त्योथर क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 7- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील त्योथर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
			8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील त्योंथर के आदेश के विरुद्ध बी०एन०एस०एस० 2023 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण।
25	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
सिरमौर			
26	श्री राम सिंह कनौजिया, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 4-प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5-रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/-से अनाधिक मूल्य के लघु वाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। 6- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 7-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण। 8-समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं वरिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4-सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 5-मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। 6- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील सिरमौर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। 7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील सिरमौर के आदेश के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
27	श्री संजय वर्मा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2- थाना सेमरिया एवं गढ़ (सिरमौर क्षेत्राधिकार) की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र । 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्ती एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें । 4- हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 5- पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 6- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 7. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें ।
		सत्र खण्ड	1- यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- थाना गढ़ एवं सेमरिया अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं । 3- सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण । 4- सिरमौर न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत थाना गढ़ एवं सेमरिया के धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र ।
<u>रीवा</u>			
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/ गुढ/रायपुर कर्चुलियान	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण । 2- माह मई एवं जून में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 3- माह मई एवं जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण ।
29	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर /गुढ/रायपुर कर्चुलियान	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण । 2- माह जुलाई एवं अगस्त में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 3- माह जुलाई एवं अगस्त में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण ।
30	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/ रायपुर कर्चुलियान	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण । 2- माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 3- माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण ।

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
31	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जिला रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील रीवा	1-प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2-राजस्व तहसील रीवा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें अन्य ऐसी तहसील यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये जहां तक रीवा जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है। 3-उपरोक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसूची 2 के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका वाद मूल्य पच्चीस हजार रुपये तक हो।
32	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/ रायपुर कर्चुलियान	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2- माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3-माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। 4- राजस्व जिला रीवा एवं उसके अंतर्गत आने वाले राजस्व जिले (सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, डिंडोरी, पन्ना) के वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामले जो जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के हों।
33	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां का संपूर्ण क्षेत्र	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। 4. "रुपये दो सौ से अधिक एवं रुपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण"। (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 5. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले।
34	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/ रायपुर कर्चुलियान	1- प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2- माह मार्च एवं अप्रैल में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3- माह मार्च एवं अप्रैल में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के (पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड रीवा में पदस्थ)		न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, रीवा
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/ रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह मई, जून एवं नवम्बर में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. "रुपये दो सौ मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण"। (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	(रिक्त न्यायालय)	

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
38	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर / गुढ / रायपुर कर्चुलियान	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
39	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	(रिक्त न्यायालय)	
40	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	(रिक्त न्यायालय)	
41	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	(रिक्त न्यायालय)	
42	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	(रिक्त न्यायालय)	
43	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर / गुढ / रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह फरवरी, अप्रैल एवं जुलाई में रुपये 1 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
44	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर / गुढ / रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में रुपये 1 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
45	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के	न्यायालय के प्रथम अति० न्यायाधीश रीवा	(रिक्त न्यायालय)
46	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के	न्यायालय के द्वितीय अति० न्यायाधीश रीवा	(रिक्त न्यायालय)
47	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति० न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर / गुढ / रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जनवरी, मार्च एवं सितम्बर में रुपये 1 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण
48	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के	न्यायालय के चतुर्थ अति० न्यायाधीश रीवा	(रिक्त न्यायालय)
मऊगंज			
49	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / हनुमना / नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण 3. माह जनवरी से जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। 4. 1961 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। 5. रुपये दो सौ से अधिक और रुपये 5 सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
50	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / हनुमना / नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जुलाई से दिसम्बर में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण 3. माह जुलाई से दिसम्बर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।
51	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	(रिक्त न्यायालय)	

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
52	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 02. <u>माह मार्च, अप्रैल, सितम्बर से दिसम्बर में</u> रुपये 01 से 05 लाख तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
53	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज (रिक्त न्यायालय)		
54	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. <u>माह जनवरी, फरवरी, मई से अगस्त में</u> रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण 3. रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।
55	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
56	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
हनुमना			
57	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
58	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण 3-रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
त्योथर			
59	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योथर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2-रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण। 3-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। 4-रुपये दो सौ से अधिक और रुपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 5-M0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले।
60	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
61	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योथर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह <u>जनवरी से मार्च एवं जुलाई से सितम्बर</u> में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण

क्र.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
62	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से दिसम्बर में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण 3. रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
63	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
सिरमौर			
64	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	सिविल जिला रीवा के तहसील सिरमौर / सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण। 3. माह जनवरी से जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। 4. रुपये दो सौ से अधिक और रुपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
65	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	सिविल जिला रीवा के तहसील सिरमौर / सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 02. माह जुलाई से दिसम्बर में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण। 03- माह जुलाई से दिसम्बर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।
66	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर / सेमरिया	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।
67	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय)		
68	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय)		
69	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर / सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3- रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
मनगवां			
70	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3. रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत).

नोट :-

1. यह कार्य विभाजन आदेश आगामी कार्य विभाजन आदेश तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रकरणों का पंजीयन उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर किया जावेगा एवं लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।
2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उनकी न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य का विचारण मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा। साथ ही उक्त न्यायालय से पूर्व में निराकृत हुये सभी प्रकार के सिविल प्रकरण (क्लेम सहित) तथा उनसे संबंधित आवेदन तथा भुगतान की समस्त कार्यवाही एवं उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये हैं, का निराकरण नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।
3. विशेष न्यायाधीश रीवा (एन0डी0पी0एस0एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उनके न्यायालय में लंबित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य का विचारण अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रीवा (एन.डी.पी.एस.एक्ट) द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रीवा (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनों न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
4. विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों (अन्य आवश्यक कार्य) का विचारण विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों (अन्य आवश्यक कार्य) का विचारण विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनों न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
5. चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से दिनांक 01.05.2025 के पूर्व में निराकृत हुए ओ0ए0डब्लू से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन से उद्भूत विविध प्रकरण अथवा आवेदन एवं सिविल प्रकरण (क्लेम सहित) तथा उनसे संबंधित विविध प्रकरण/भुगतान आवेदन व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, का निराकरण 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
6. षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) के पूर्व में निराकृत हुये आपराधिक, सिविल प्रकरण (क्लेम प्रकरण) एवं उनसे संबंधित आवेदन तथा भुगतान की समस्त कार्यवाही व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
7. 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय से पाक्सों अधिनियम से संबंधित पूर्व में निराकृत हुये आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन से उद्भूत विविध प्रकरण अथवा आवेदन एवं उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
8. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा** एवं समस्त किमिनल प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त प्रकार के आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा** को अधिकृत किया जाता है।
9. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा**, **नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा** को अधिकृत किया जाता है।
10. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) एवं किमिनल प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज** को अधिकृत किया जाता है।

11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज/हनुमना, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज**, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज को अधिकृत किया जाता है।
12. अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) एवं किमिनल प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश** को अधिकृत किया जाता है।
13. अति./व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, अति./व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर**, **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर** को अधिकृत किया जाता है।
14. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल (क्लेम सहित) तथा उनसे संबंधित आवेदन एवं किमिनल से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर** को अधिकृत किया जाता है।
15. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर**, **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर** को अधिकृत किया जाता है।
16. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना** को अधिकृत किया जाता है।
17. कंडिका क 05 से 16 में अंकित न्यायाधीश के अवकाश अवधि में रहने पर अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण के क्रमानुसार कार्य संपादित करेंगे।
18. यदि जमानत आवेदन/प्रस्तुत पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर यह पाया जाता है कि पाक्सो एक्ट एवं अन्य कोई विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन लगा है तो वह आवेदन स्वतः विशेष न्यायाधीश संबंधित एक्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित माना जावेगा।
19. मेरे अवकाश अवधि में बी.एन.एस.एस. की धारा 482 एवं 483 से संबंधित मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा की न्यायालय में अंतरित माने जावेंगे, यदि विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा के अवकाश पर होने अथवा न्यायालय रिक्त होने पर जमानत आवेदन मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में स्वयं ही अंतरित माने जावेगा।
20. बी.एन.एस.एस. की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिया गया है, उसी अभियुक्त का अथवा उसी अपराध से संबंधित अन्य सह-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र भी उसी न्यायालय में अंतरित माना जावेगा।
21. लंबित दांडिक मामलों में जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य होगा जहां पर प्रकरण लंबित है।
22. मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारु रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति संबंधी प्रतिभूति आवेदन पत्र (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० 2012) से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)/चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं महिलाओं के विरुद्ध विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप) से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ओ०ए०डब्लू०) रीवा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्रों को सुनवाई व निराकरण हेतु स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरूप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके कार्य विभाजन पत्रक अनुसार अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी कार्य देखेंगे।
23. समस्त न्यायाधीशगण आवंटित सिविल प्रकरणों के सुनवाई क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिविल वेकेशन में प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
24. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिले में पदस्थ अन्य न्यायाधीशों के अवकाश पर, स्थानांतरण पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल, आपराधिक एवं विशेष प्रकरणों की सुनवाई अनुलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण द्वारा की जायेगी।


(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा (म०प्र०)

परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नम्बर 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति/अवकाश में उनके न्यायालय के सभी आवश्यक कार्य का निराकरण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित क्रमानुसार न्यायाधीशगण द्वारा किया जायेगा। यदि कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित सभी न्यायाधीशगण अनुपस्थित/अवकाश पर हैं तो उस समय मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदक्रम के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के द्वारा उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण किया जायेगा :-

[illegible]

[illegible]

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
1	2	3
42	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना	1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
43	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश.	1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
44	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
45	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
46	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
47	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
48	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
49	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
50	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार निर्देशित न्यायाधीश कार्य देखेंगे।
51	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिरमौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर व उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार निर्देशित न्यायाधीश कार्य देखेंगे।
52	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 27/07/2025

पृष्ठांकन क्रमांक— 3605 / दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ।
2. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
3. कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0) ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा (म0प्र0)।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
6. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/मऊगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

